संख्या-177/2023/1184ई/23-11-2023-773ई/2023

प्रेषक,

अजय चौहान
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ: दिनांक 08 जून, 2023**

विषय: **विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों/पी0सी0यू0 शिथिलीकरण आदि के अनुमोदन हेतु उच्च स्तरीय समिति के गठन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों/पी0सी0यू0 शिथिलीकरण आदि हेतु मा0 मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त करने की वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया का सरलीकरण करते हुए निम्नवत् निर्णय लिये गये हैं:-

1- विभिन्न निर्माण परियोजनाओं में उच्च विशिष्टियों/पी0सी0यू0 शिथिलीकरण आदि के प्रकरणो पर अनुमोदन हेतु एतद्द्वारा निम्नवत् उच्च स्तरीय समिति गठित की जाती हैः

(क)	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।	अध्यक्ष
(ख)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(घ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य
(च)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग	सदस्य
(छ)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग,	सदस्य सचिव।

2- निर्माण कार्यो से संबंधित ऐसी परियोजनाएं, जिनकी लागत रू0 200.00 करोड तक है, की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु निम्नलिखित प्रकार के प्रकरणो का अनुमोदन उक्त समिति द्वारा किया जायेगाः-

(1)- किसी कार्य में सम्मिलित उच्च विशिष्टियों पर।

(2)- मार्गो के चौडीकरण हेतु निर्धारित पी0सी0यू0 में शिथिलीकरण पर।

(3)- ग्रामीण मार्ग पर पडने वाले सरकारी संस्थान अथवा ऐसे सरकारी संस्थान, जो मार्ग से नहीं जुडे हुए है, उन तक 02/04 लेन मार्ग का नव निर्माण किए जाने पर।

(4)- रेल उपरिगामी सेतुओं के निर्माण में सम्बन्धित सम्पार पर टी0वी0यू0 एक लाख से कम होने के कारण रेलवे द्वारा सहभागिता न किए जाने के दृष्टिगत पूर्ण लागत राज्य सरकार द्वारा वहन किए जाने पर ।

(5)- ऐसे निर्माण कार्य जो किसी शासनादेश/एस0ओ0आर0 आदि से आच्छादित न होने पर।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उक्त के अतिरिक्त ऐसी परियोजनाएं, जिनकी लागत रू0 200.00 करोड से अधिक है, उनमें उपरोक्त प्रकार के मामलो का अनुमोदन पूर्ववत् प्रचलित प्रक्रियानुसार मा0 मंत्रि-परिषद् से प्राप्त किया जायेगा।

4- संबंधित प्रशासकीय विभागो द्वारा उपरोक्त बिन्दु-(2) से आच्छादित निर्माण परियोजनाओं को व्यय वित्त समिति से अनुमोदित कराकर, सुस्पष्ट टिप्पणी सहित उक्त समिति के विचारार्थ/ अनुमोदनार्थ प्रकरण को प्रस्तुत करने के लिए प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।

उपरोक्तानुसार लिए गये निर्णयों से अपने अधीनस्थों को अवगत कराते हुए तत्काल अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(अजय चौहान)
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

उक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 लखनऊ/प्रयागराज।
4- वित्त विभाग के समस्त अनुभाग।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
7- निदेशक, प्रायोजना रचना मूल्यांकन प्रभाग, योजना भवन, लखनऊ।
8- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
10- समस्त अनुभाग, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- गार्डफाइल।

आज्ञा से

(प्रभुनाथ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in